279

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20 रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 प्र0 क्रं0 2/ निगरानी / छतरपुर / भू.रा./2017/1964 सन् ....

श्रीमती रेखा पत्नी श्री अनुराग अरजरिया
निवासी पहाडीहीराजू हाल निवास महल रोड छतरपुर
तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)———— ——————निगरानीकर्ता

बनाम

यशवंत कुमार तनय श्री दुर्गा प्रसाद अरजरिया
निवासी नजरबाग छतरपुर तहसील छतरपुर
जिला छतरपुर (म0प्र0) ———————————— ——गैरनिगरानीकर्ता

आज दि. 28.6.17 प्रस्तुत
लिपिक राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

28/6/17 चतुर्वेदी (अ.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रकरण क्रमांक 56/अपील/ 2015–16 आदेश दिनांक 22.03.2017 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) से परिवेदित होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत करती है :–

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम पहाडीहीराजू की भूमि खसरा नं0 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 765, 766, 767, 770, 771, 783, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 824, 833, किता 22 कुल रकवा 6.743 हे0 मेसे हिस्सा 1/4 यानि करवा 1.688 हे0 राजस्व अभिलेख में विद्यादेवी वेवा दुर्गा प्रसाद अरजरिया के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज था। विद्यादेवी मुझ निगरानीकर्ता की सगी सास थी यानि पति की माता जी थी । जिन्होने अपने जीवनकाल में उप पयंजीयक कार्यालय राजनगर में अपनी उक्त वर्णित भूमियों का बसीयतनामा मुझ बसीयतग्रहीता / निगरानीकर्ता के नाम से दिनांक 10.02.2009 के पंजीबद्ध कराया था । बसीयतकर्ता शुरू से मेरे साथ निवासरत रही मेरे द्वारा ही उनकी सेवा खुशामद, कपडा, रहने, खाना आदि का बंदोबस्त किया जाता था । जिससे खुश होकर उन्होने अपनी उक्त भूमि का बसीयतनामा मेरे नाम से लेख कराया था। तथा उनकी मृत्यु उपरान्त अंतिम संस्कार, दिन तेरहवी, आदि मेरे पति अनुराग अरजरिया द्वारा किया गया था।

3 2241

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1964 रेखा विरूद्ध यशवंत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	